



डॉ० अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 07.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट दिनांक 07.01.2026

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

जान मारने की नियत से हमला करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 05.01.2026 को वादी सोनू राजभर पुत्र जितेंद्र राजभर ग्राम करपिया पोस्ट केरमा थाना जहानागंज, आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि क्रिकेट मैच में हार-जीत की बात को लेकर दोनों टीमों में झगड़ा हो गया था इसी प्रकरण में रिशु चौहान पुत्र भूपेंद्र चौहान निवासी सैदपुर थाना मोहम्मदाबाद मऊ ने समझौते की बात कह कर मुहम्मदाबाद बुलाया वादी अपने मित्र राहुल यादव, उपेंद्र यादव, बंटी चौहान के साथ क्रिकेट खेलकर पकवाइनार (केरमा) पहुंचा तथा रिशु चौहान अपने मित्रों विशाल चौहान पुत्र रामानंद चौहान निवासी सैदपुर थाना मोहम्मदाबाद मऊ व आठ-दस लड़कों के मारपीट किये तथा असलहे से हवा में फायरिंग भद्दी भद्दी गलियां व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 11/26 धारा 109(1), 3(5), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 बनाम 1. रिशु पुत्र भूपेन्द्र, 2. विशाल पुत्र रामानन्द व 08 से 10 मोटर साइकिल सवार व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों 1. अंकित यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव सा0 पड़ेरुआ (सैरैया) थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, 2. राज उर्फ राजा पुत्र हरेन्द्र सा0 केरमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, 3. भैरव पुत्र अपरबल चौहान सा0 सैदपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, 4. आकाश चौहान पुत्र परमालिक चौहान सा0 भातकोल थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ हा0मु0 ग्राम सैदपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, 5. राहुल चौहान पुत्र बसंत चौहान सा0 दरियाबाद थाना घोषी जनपद मऊ हा0मु0 ग्राम सैदपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, 6. अभिषेक चौहान पुत्र रामानन्द चौहान सा0 सैदपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 07.01.2026 को उ0नि0 नीरज कुमार शुक्ल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1- आकाश चौहान पुत्र परमालिक चौहान सा0 भातकोल थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ हा0मु0 ग्राम सैदपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र 20 वर्ष 2- राहुल चौहान पुत्र बसंत चौहान सा0 दरियाबाद थाना घोषी जनपद मऊ हा0मु0 ग्राम सैदपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र 23 वर्ष 3- अभिषेक चौहान पुत्र रामानन्द चौहान सा0 सैदपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष को हरैया अण्डरपास से समय करीब 01:05 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आकाश चौहान पुत्र परमालिक चौहान सा0 भातकोल थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ हा0मु0 ग्राम सैदपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र 20 वर्ष।
2. राहुल चौहान पुत्र बसंत चौहान सा0 दरियाबाद थाना घोषी जनपद मऊ हा0मु0 ग्राम सैदपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र 23 वर्ष।
3. अभिषेक चौहान पुत्र रामानन्द चौहान सा0 सैदपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 11/2026 धारा 3(5)/109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस

आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त आकाश चौहान पुत्र परमालिक चौहान सा0 भातकोल थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ

- मु0अ0सं0 11/2026 धारा 3(5)/109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- मु0अ0सं0 333/2021 धारा 323,325,32434,452,504,506 भादवि थाना मुहम्मदाबाद, मऊ अभियुक्त राहुल चौहान पुत्र बसंत चौहान सा0 दरियाबाद थाना घोषी जनपद मऊ व अभिषेक चौहान पुत्र रामानन्द चौहान सा0 सैदपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ
- मु0अ0सं0 11/2026 धारा 3(5)/109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 नीरज कुमार शुक्ल मय हमराह, उ0नि0 सतीश कुमार मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 07.01.2026

थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

अवैध तमन्चा कारतूस के साथ सातिर अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 06.01.2026 को उ0नि0 विनय कुमार मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना पर राम राष्ट्रीय इंटर कालेज से पहले पुलिया से अभियुक्त रूपेश यादव पुत्र स्व0 छेदीलाल यादव निवासी सिसवा थाना मेहनगर आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष को 01 देशी तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व कुल 170 रुपये के साथ समय करीब 22:55 बजे गिरफ्तार किया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 09/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रूपेश यादव पुत्र स्व0 छेदीलाल यादव निवासी सिसवा थाना मेहनगर आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 213/2015 धारा 392/ 411/ 120 बी आईपीसी थाना कैण्ट जनपद वाराणसी व
2. मु0अ0सं0 771/2015 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कैण्ट जनपद वरुणा (कमिश्नरेट वाराणसी)

बरामदगी का विवरण- 01 देशी तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व कुल 170 रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अभिषेक सिंह, उ0नि0 अजय निषाद, हे0का0 प्रमोद कुमार यादव , उ0नि0 विनय कुमार , का0 ऋषि कुमार, का0 विनोद चौधरी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 07.01.2026

थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

लाठी डंडे से जान लेवा हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 05.11.2025 को वादी/पीड़ित दीपक गौड़ पुत्र त्रिभुवन गौड़ ग्राम चकबारी थाना निजामाबाद आजमगढ़ को मेड़ के विवाद को लेकर विपक्षी महेन्द्र गोंड़ पुत्र मुन्नन ,सरोजा पत्नी महेन्द्र व मुन्नन पुत्र स्व0 डल्लू ने मिलकर गाली गुप्ता देते हुए लात-घूसो व लोहे की राड व डण्डे से जान से मारने की नियत से प्राण घातक हमला किया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 373/25 धारा 109(1), 115(2), 352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 07.01.2026 को उ0नि0 चन्द्रजीत यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुन्नन गौड़ पुत्र डल्लू निवासी चकबारी थाना निजामाबाद , आजमगढ़ उम्र करीब 60 वर्ष को पुलिस बल द्वारा घर पर दबिश देकर समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना मे

प्रयुक्त डण्डे को सड़क के किनारे स्थित झाड़ियों में से बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० चन्द्रजीत यादव 2. हे०का० धर्मेन्द्र यादव 3. हे०का० अखिलेश यादव 4. का० अवधेश सिंह , 5. का० राकेश यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.01.2026

थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 31.12.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि वादिनी की नाबालिग लड़की को अभियुक्त दिपुल पुत्र रमेश निवासी कटरा (बलुआ) थाना-मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ बहला फुसलाकर भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 554/2025 धारा 137(2), 87 BNS पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 07.01.2026 को उ०नि० अश्विनी कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दिपुल पुत्र स्व० रमेश निवासी मोहल्ला कटरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को सठियांव चौराहे से समय करीब 12.50 बजे गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं०- 554/25 धारा 137(2)/87 BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ०नि० अश्विनी कुमार मिश्र मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 06.01.2025

थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

मारपीट करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 06.01.2026 को वादी मुकदमा धीरेन्द्र दत्त मिश्र पुत्र हृषिकेश मिश्र साकिन मनियारपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी के दरवाजे पर चढ़कर 1-वीरेन्द्र कुमार मिश्र S/O माधव श्याम मिश्र एवं 2-पूर्णेंद्र मिश्र एवं 3-नम्रता D/O वीरेन्द्र कुमार मिश्र ने वादी की 80 वर्षीय माता निर्मला को मारा-पिटा व बीच बचाव करने गयी वादी की पत्नी रंजना मिश्रा को घसीटकर मारा व नम्रता द्वारा वादी की पत्नी के दाहिने हाथ के अंगूठे को दाँत से काट कर अलग कर दिया गया मारने पीटने व जान से मारने की धमकी दिया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 07/2026 धारा 115(2)/118(2)/351(3) बीएनएस बनाम 1. वीरेन्द्र कुमार मिश्र S/O माधव श्याम मिश्र ,2. पूर्णेन्द्र मिश्र पुत्र वीरेन्द्र कुमार मिश्र 3. नम्रता D/O वीरेन्द्र कुमार मिश्र निवासीगण ग्राम मनियारपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा० अनिल कुमार द्वारा चलाये जा रहे अपराधियो व वारंटियों की गिरफ्तारी के अभियान व अपराध नियन्त्रण के क्रम में आज दिनांक 06.01.2025 को उ०नि० विवेक कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता 1-नम्रता पत्नी नितिन जोशी (पुत्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र) पता LIG 177 राप्तीनगर आरोग्य मन्दिर गोरखपुर हाल पता मनियारपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़ को उसके घर ग्राम मनियारपुर से समय करीब 17.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता का चालान मा० न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम- नम्रता पत्नी नितिन जोशी (पुत्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र) पता LIG 177 राप्तीनगर आरोग्य मन्दिर गोरखपुर हाल पता मनियारपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं०- 07/2026 धारा 115(2)/118(2)/351(3) बीएनएस थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 विवेक कुमार, कां0 उदय भान, म0कां0 नीतू शुक्ला थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

प्रेस- नोट दिनांक 07.01.2026

थाना- जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

नाबालिग को भगाने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना- दिनांक 03.12.2025 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रा0पत्र दिया गया कि वादी की लडकी घर से स्कूल के लिये निकली थी काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला तथा गांव के ही 01 लडके के साथ पढने जाती थी जो भगा ले गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 0500/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम – 01 बाल अपचारी पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.01.2026 को उ0नि0 पवन यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को जीयनपुर चौक से समय करीब 12.45 बजे पुलिस अभिरक्षा में लेकर कर अपहृता को बरामद किया गया तथा बाल अपचारी को मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 0500/2025 धारा 137(2)/ 64/87 BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 पवन यादव, कां0 अक्षय प्रसाद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 07.01.2026, जनपद आजमगढ़ (प्रदेश स्तर का माफिया अखण्ड प्रताप सिंह)

*"ऑपरेशन कनक्वशन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के आदेश के उलंघन करने के आरोप में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए ***03 वर्ष के साधारण कारावास व 5000 रु0*** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना तरवां में पंजीकृत अपराध जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश का उलंघन करने के आरोप में 01 आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

→ दिनांक- 19.09.2019 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री नवल किशोर सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि ***अभियुक्त अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व0 साहब सिंह निवासी ग्राम जमुंआ, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन न करना तथा मा0न्यायालय द्वारा 82 जा0फौ0 का आदेश निर्गत होने के बाद भी मा0 न्यायालय में हाजिर न होना।***

→ अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 113/2019 धारा 147A, 229A भादवि पंजीकृत किया गया।

→ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

→ मुकदमा उपरोक्त में 11 गवाह परीक्षित हुए हैं।

→ जिसके क्रम में दिनांक- 07.01.2026 को मा0 न्यायालय एफटीसी(एसडी) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित ***अभियुक्त अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व0 साहब सिंह निवासी ग्राम जमुंआ, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

प्रेस नोट दिनांक 07.01.2026
थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

पूर्व की घटना- दिनांक 05.01.2026 वादी मुकदमा जयश्री चौहान s/o रामलाल चौहान सा० जाफरपुर थाना व तहसील मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी कि वादी के यहां मतदाता सूची सत्यापन SIR का कार्य चल रहा था जिसमे काफी अनियमितता थी, जिस पर भाजपा मण्डल अध्यक्ष जयश्री चौहान व महामन्त्री राजेन्द्र चौहान ने आपत्ति की तो विपक्षी 1-बलिराम चौहान पुत्र लिरजू राकेश पुत्र बलिराम(प्रधान) 2-राजनेत पुत्र फूलबदन, 3-फूलबदन पुत्र छोहाडा, 4-छोटेलाल पुत्र खुन्नू, 5-अम्बुज पुत्र सुभाष सभी लोग एक राय व गोलबन्द होकर लाठी डन्डा से मारे-पीटे तथा माँ बहन की भद्दी- भद्दी गालियां एवं जान से मारने की धमकी देते हुये भाग जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 07/2026 धारा 3(5), 110, 352, 351(3) BNS पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 07.01.2026 को उ0नि0 उमेश सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त 01 राजनेत चौहान पुत्र फूलबदन चौहान सा0 जाफरपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को ग्राम जाफरपुर समय करीब 16.00 बजे हिरासत में लेकर अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस की निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है।

प्रेस-विज्ञप्ति
दिनांक : 07.01.2026
जनपद : आजमगढ़

उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले 07 पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर किया गया सम्मानित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आज दिनांक 07.01.2026 को पुलिस कार्यालय आजमगढ़ में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक एवं उत्कृष्ट ढंग से निर्वहन करने वाले 07 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी सम्मानित पुलिसकर्मियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनके कार्यों की सराहना की गई तथा अन्य पुलिसकर्मियों को भी उनसे प्रेरणा लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों का विवरण—

1. निरीक्षक अशोक तिवारी, थाना जीयनपुर, आजमगढ़—

दिनांक 15.12.2025 से 21.12.2025 तक (कुल 07 दिवस) विवेचना निस्तारण से सम्बन्धित निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष गम्भीर प्रयास एवं विशेष रुचि लेते हुए शत-प्रतिशत विवेचनाओं का सफल निस्तारण किया गया।

2. उ0नि0 अक्षय सिंह, थाना मेंहनगर, आजमगढ़—

दिनांक 15.12.2025 से 21.12.2025 तक (कुल 07 दिवस) विवेचना निस्तारण हेतु दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष विशेष लगन एवं तत्परता से कार्य करते हुए सभी लंबित विवेचनाओं का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया।

3. उ0नि0 जावेद सिद्दीकी, थाना सिधारी, आजमगढ़—

दिनांक 15.12.2025 से 21.12.2025 तक (कुल 07 दिवस) विवेचना निस्तारण के सम्बन्ध में गम्भीर प्रयास एवं विशेष रुचि लेते हुए निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति की गई।

4. उ०नि० कमालुद्दीन, थाना फूलपुर, आजमगढ़—

दिनांक 15.12.2025 से 21.12.2025 तक (कुल 07 दिवस) विवेचना निस्तारण से सम्बन्धित कार्य में उल्लेखनीय दक्षता का परिचय देते हुए शत-प्रतिशत विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

5. उ०नि० संजय यादव, थाना देवगांव, आजमगढ़—

दिनांक 15.12.2025 से 21.12.2025 तक (कुल 07 दिवस) विवेचना निस्तारण हेतु प्रदत्त लक्ष्य के सापेक्ष विशेष रुचि लेकर सभी विवेचनाओं का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया।


6. मुख्य आरक्षी योगेन्द्र कुमार मौर्य, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़—

दिनांक 08.12.2025 को थाना गम्भीरपुर के वार्षिक निरीक्षण के दौरान वाहनों के निस्तारण के सम्बन्ध में पूछे जाने पर मुख्य आरक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि विगत माह में 20 वाहनों का नियमानुसार मा० न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर गठित समिति के माध्यम से नीलामी द्वारा विधिसम्मत निस्तारण कराया गया।

7. महिला आरक्षी सुषमा सरोज, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़—

दिनांक 08.12.2025 को थाना गम्भीरपुर के वार्षिक निरीक्षण के दौरान ऑनलाईन धोखाधड़ी से सम्बन्धित अपराधों में त्वरित कार्यवाही एवं अपराधियों की शीघ्र ट्रैकिंग के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों का तथ्यपरक, संतोषजनक एवं स्पष्ट उत्तर दिया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने सभी सम्मानित पुलिसकर्मियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इसी प्रकार कर्तव्यनिष्ठा एवं पूर्ण मनोयोग से कार्य करते रहने का आह्वान किया।



प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक : 07.01.2026

जनपद : आजमगढ़

नगर कोतवाली: संयुक्त ग्राम चौपाल का आयोजन, मिशन शक्ति, साइबर सुरक्षा एवं पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों को किया गया जागरूक

➡️ □ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में आज दिनांक 07.01.2026 को क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी द्वारा थाना कोतवाली (चौकी रोडवेज) क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोलपाण्डेय में संबन्धित व्यक्तियों एवं ग्रामीणों के साथ संयुक्त ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया।

➡ □ उक्त ग्राम चौपाल के दौरान मिशन शक्ति अभियान, साइबर अपराधों से बचाव तथा आगामी ग्राम पंचायत चुनावों की तैयारियों एवं निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा ग्रामीणों को जागरूक किया गया। पुलिस द्वारा लोगों से अफवाहों से बचने, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई।

➡ □ कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली यादवेन्द्र पाण्डेय सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।



प्रेस नोट दिनांक 07.01.2024

जनपद आजमगढ़

प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया अखण्ड प्रताप सिंह को मा0 न्यायालय की अवहेलना के अपराध में 03 कारावास एवं 7000/- रुपये का अर्थदण्ड की सजा

➡ दिनांक- 19.09.2019 को वादी मुकदमा उ0नि0 नवल किशोर सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व0 साहब सिंह निवासी ग्राम जमुंआ, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन न करना तथा मा0न्यायालय द्वारा 82 जा0फौ0 का आदेश निर्गत होने के बाद भी मा0 न्यायालय में हाजिर न होने के प्रकरण में माफिया अखण्ड प्रताप सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 113/2019 धारा 174A, 229A भादवि0 पंजीकृत किया गया तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया। उक्त मुकदमें कुल 11 गवाह परिक्षित हुए जिसके क्रम में दिनांक- 07.01.2026 को मा0 न्यायालय एफटीसी(एसडी) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व0 साहब सिंह निवासी ग्राम जमुंआ, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के साधारण कारावास व 7,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अखण्ड प्रताप सिंह उपरोक्त थाना तरवां का हिस्ट्रीशीटर है। जिसका हिस्ट्रीशीट नं0- 2A है तथा यह चिन्हित माफिया भी है। जिसका गैंग नम्बर D-11 है। इसके विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के अलावा जनपद मऊ जनपद गाजीपुर जनपद जौनपुर जनपद लखनऊ में गैंगेस्टर, लूट, हत्या, डकैती, एससी एसटी एक्ट, आर्म्स एक्ट गुण्डा एक्ट आदि जैसे कुल 38 मुकदमें पंजीकृत है। अखण्ड प्रताप सिंह उपरोक्त वर्तमान में जिला कारागार बरेली में निरुद्ध है।

अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व0 साहब सिंह निवासी ग्राम जमुंआ, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ का अपराधिक इतिहास-



अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र साहब सिंह सा0 जमुवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़ एच0एस0-02ए, डी-11 गैंग का सदस्य						
क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद	दिनांक सूचना	परिणाम (CS/FR) दिनांक सहित
1	06/1996	307/504 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट	तरवां	आजमगढ़	08.01.1996	आरोप पत्र ए- 3 24/1/1996
2	270/13	396 भा0द0वि0	तरवां	आजमगढ़	11.05.13	आरोप पत्र ए-58 / 5/8/2013
3	374/13	3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	तरवां	आजमगढ़	29.12.2013	आरोप पत्र
4	302/2004	302/307/404 भा0द0वि0	मेंहनगर	आजमगढ़	10.09.2004	ए-66, 09.05.2005
5	48/96	147/148/149/325/323भा0द0वि0 व 3(2) 5 SC ST ACT	तरवां	आजमगढ़	7/3/1196	आ0प0 ए- 11 28/3/1196
6	263/98	147/148/149/302/34/353 भा0द0वि0 व 3(2)5 SC/ST ACT व 7 CLA ACT व 120B IPC	तरवां	आजमगढ़	25/11/1998	आ0प0 ए-1 9/1/1999
7	158/2002	392/411 भा0द0वि0	तरवां	आजमगढ़	08.09.2002	आरोप पत्र ए-1ए /27/3/2003
8	122/03	307 भा0द0वि0 व 7CLA ACT व 3(1) गैंगेस्टर एक्ट	तरवां	आजमगढ़	02.04.2003	आरोप पत्र /06/12/2003
9	123/03	25 आर्म्स एक्ट	तरवां	आजमगढ़	02.04.2003	आरोप पत्र 31.5.2003
10	126/96	392 /411 भा0द0वि0	तरवां	आजमगढ़	29/7/1996	आरोप पत्र ए- 57 .27/11/1996
11	163/96	3/25 आर्म्स एक्ट	तरवां	आजमगढ़	24.10.1996	आरोप पत्र ए-63 22.12.1996

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद	दिनांक सूचना	परिणाम (CS/FR) दिनांक सहित
28	357/96	392/411 भा0द0वि0	मोहम्दाबाद	मऊ		
29	430/97	3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	मोहम्दाबाद	मऊ		
30	308/97	394/302 भा0द0वि0	मोहम्दाबाद	मऊ		
31	288/97	3/25 आर्म्स एक्ट	मोहम्दाबाद	मऊ		
32	745/98	307/302 /34 भा0द0वि0 व 7 CLA ACT	कोतवाली	मऊ		
33	52/99	302/120B IPC	बहरियाबाद	गाजीपुर		
34	210/002	302/120B IPC	बहरियाबाद	गाजीपुर		
35	352/2002	25 आर्म्स एक्ट	दुल्लहपुर	गाजीपुर		
36	397/005	302/404 भा0द0वि0	बहरियाबाद	गाजीपुर		
37	402/2003	147/148/149/307/302 भा0द0वि0	गौराबादशाहपुर	जौनपुर		
38	15/21	302/307/120 बी /34 भा0द0वि0	विभूतिखण्ड	लखनऊ	07.01.2021	आरोप पत्र-05.04.2021

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 07.01.2026, जनपद आजमगढ़ प्रदेश स्तर का माफिया अखण्ड प्रताप सिंह "ऑपरेशन कनक्वशन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के आदेश के उलंघन करने के आरोप में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए *03 वर्ष के साधारण कारावास व 7000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना तरवां में पंजीकृत अपराध जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश का उलंघन करने के आरोप में 01 आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के साधारण कारावास व 7,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ दिनांक- 19.09.2019 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री नवल किशोर सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व0 साहब सिंह निवासी ग्राम जमुंआ, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन न करना तथा मा0न्यायालय द्वारा 82 जा0फौ0 का आदेश निर्गत होने के बाद भी मा0 न्यायालय में हाजिर न होना ।

➡ अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 113/2019 धारा 147A,229A भादवि पंजीकृत किया गया ।

➡ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 11 गवाह परीक्षित हुए हैं ।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 07.01.2026 को मा0 न्यायालय एफटीसी(एसडी) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व0 साहब सिंह निवासी ग्राम जमुंआ, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के साधारण कारावास व 7,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

